संख्या-4/1/4/2011-का-4-2013

प्रेषक,

जावेद उस्मानी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त पुलिस महानिरीक्षक/उप पुलिस महानिरीक्षक (अभिसूचना), उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक : 21 अक्टूबर, 2013

विषय:- विभिन्न परीक्षाओं/चयनों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों का पूर्ववृत्त/चरित्र सत्यापन कराया जाना।

महोदय,

विभिन्न परीक्षाओं/चयनों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों का पूर्ववृत्त एवं चरित्र सत्यापन कराये जाने की नीति शासनादेश संख्या-4694/II-बी-321-1947, दिनांक 28.4.1958 में दी गयी है। उक्त शासनादेश के प्राविधानों के अनुसार समयबद्ध रूप से चरित्र सत्यापन आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश विभिन्न शासनादेशों के द्वारा दिये गये हैं। शासनादेश संख्या-8/22-1975-कार्मिक-2, दिनांक 20.5.1978 एवं शासनादेश संख्या-5/9/1982-कार्मिक-2, दिनांक 25.5.1985 में सुस्पष्ट रूप से यह निर्देश दिये गये हैं कि भारत सरकार अथवा प्रदेश सरकार के विभिन्न पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की चरित्र सत्यापन आख्या प्रत्येक स्थिति में 30 दिन के अन्दर नियुक्ति प्राधिकारी को उपलब्ध करा दी जाय।

2. शासन के संज्ञान में यह लाया गया है कि उक्त शासनादेशों में दिये गये सुस्पष्ट निर्देशों के बावजूद चयनित अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त/चरित्र सत्यापन आख्या अत्यधिक विलम्ब से नियुक्ति प्राधिकारियों को उपलब्ध करायी जा रही है, जिससे नियुक्ति पत्र निर्गत किये जाने में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है। अतः आपको निम्नवत् निर्देशित करने का मुझे पुनः निदेश हुआ है-

(1) भारत सरकार अथवा प्रदेश सरकार की किसी भी सेवा के लिए चयनित अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन के संबंध में उप पुलिस महानिरीक्षक (अभिसूचना) एवं जिलाधिकारियों को प्रेषित किये गये संदर्भों की प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर पूर्ववृत्त/चरित्र सत्यापन आख्या संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी/विभाग को प्रत्येक स्थिति में उपलब्ध करा दी जायें।

(2) मण्डलायुक्तों तथा पुलिस महानिरीक्षकों से यह अपेक्षा की जाती है कि उक्त कार्यवाही का अनुश्रवण करते हुए, निर्धारित अवधि के अन्दर चरित्र सत्यापन आख्या प्रेषित कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(3) जो अभ्यर्थी पूर्व से ही सरकारी सेवा में हैं, उनके पूर्ववृत्त/चरित्र सत्यापन की आवश्यकता नहीं है किन्तु उनके पूर्व विभाग से यथावश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

3. कृपया उपर्युक्त निर्देशों का समस्त स्तरों पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(जावेद उस्मानी)
मुख्य सचिव

संख्या-1/4/2011(1)-का-4-2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
6. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव

www.bhartiyashasanadesh.org
http://shasanadesh.up.nic.in